छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक :7937/6445/2022/18 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/11/2022

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
बिलासपुर/दुर्ग/भिलाई/रिसाली/
धमतरी/जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :– **प्रधानमंत्री आवास योजना के "मोर आवास–मोर चिन्हारी (एएचपी)" घटक के विभिन्न स्तरों पर लंबित डीपीआर के पुनरीक्षण के संबंध में।**

संदर्भ :– भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का पत्र क्र. N-11011/26/2022-HFA-III-UD (9139197) दिनांक 26.09.2022

––00––

भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसएमसी की 63वीं बैठक दिनांक 14.09.2022 में दिये गए निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा योजना अन्तर्गत मार्च, 2020 से पूर्व स्वीकृत आवासों में से अप्रारंभ आवासों को दिसंबर, 2022 से पूर्व यदि प्रारंभ नहीं किया जावेगा, तो ऐसी स्थिति में इन आवासों की स्वीकृति को स्वमेव निरस्त कर दिया जावेगा एवं इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत् रूप से संबंधित नगरीय निकायों/क्रियान्वयन एजेंसियों की होगी।

2) आपके निकाय में "मोर आवास–मोर चिन्हारी (एएचपी)" घटक अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की दिनांक 11.11.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्नानुसार भौतिक स्थिति पायी गई है :–

chaturpost.com

निकाय का नाम	स्वीकृत आवास	भौतिक प्रगति				आबंटित आवास	व्यवस्थापित हितग्राही
		पूर्ण आवास	प्रगतिरत्	अप्रारंभ आवास	योग		
बिलासपुर	9506	2068	1363	6075	9506	1636	1025
रिसाली	1537	0	493	1044	1537	0	0
भिलाई	3941	416	3097	428	3941	188	188
धमतरी	688	0	438	250	688	0	0
दुर्ग	1640	276	1226	138	1640	276	276
जगदलपुर	549	80	382	87	549	45	40

3) समीक्षा बैठक के दौरान यह भी पाया गया है कि, आपके द्वारा योजना अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवासों के शत–प्रतिशत आबंटन एवं व्यवस्थापन की कार्यवाही अद्यतन अपूर्ण है। यह स्थिति योजना के दृष्टिगत् असंतोषजनक एवं अस्वीकार्य है।

chaturpost.com

4) विगत् राज्य स्तरीय एवं अन्य समीक्षा बैठकों में यह निर्देश स्पष्ट रूप से निकायों को दिये गए हैं कि, प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण तथा प्रगतिरत् आवासों के व्यवस्थापन हेतु प्रथमतः चयनित स्लम के पात्र हितग्राहियों को आवास आबंटित किया जावे। यदि ऐसे हितग्राहियों द्वारा परियोजना अन्तर्गत आवासों में व्यवस्थापन हेतु असहमति दी जाती है तो, शेष आवासों को "मोर मकान–मोर आस" हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को आवास आबंटित कर नियमानुसार निर्मित/निर्माणाधीन आवासों में हितग्राहियों का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जावे।

chaturpost.com

5) उपरोक्त स्थिति में निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि, परियोजना अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवासों में व्यवस्थापन शत–प्रतिशत हो एवं कोई भी आवास रिक्त ना रहे। आवास रिक्त रह जाने के कारण शासकीय धन का अपव्यय होगा, जो कि शासन को गंभीर क्षति है, ऐसी परिस्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

6) आपके निकाय अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवासों के आबंटन एवं व्यवस्थापन की प्रगति को देखते हुए आपको विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि, भारत सरकार द्वारा सीएसएमसी की 63वीं बैठक दिनांक 14.09.2022 में दिये गए निर्देशों के अनुरूप एवं योजना के उचित क्रियान्वयन के दृष्टव्य अपने निकाय अन्तर्गत एएचपी घटक में स्वीकृत आवासों में से अद्यतन अप्रारंभ आवासों के संबंध में व्यक्तिगत समीक्षा करते हुए तत्काल ऐसे आवासों की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लेते हुए, यदि निकाय अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में से अप्रारंभ आवासों के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो, ऐसी स्थिति में यथा संशोधित डीपीआर स्वीकृति हेतु प्रेषित करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 30.11.2022 तक अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

chaturpost.com

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्रमांक : 7938 /6445/2022/18 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
2. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. रिकार्ड फाईल।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग